

**अभिरूचि की अभिव्यक्ति****मंडल रेलवे चिकित्सालय झांसी में बर्हिन्नोतो द्वारा सी. टी , एम. आर. आई. एवं****आल्ट्रासाउन्ड जॉच सेवाएँ प्रदान करने हेतु विज्ञापन**

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी सी.टी., एम.आर.आई. एवं आल्ट्रासाउन्ड जॉच से सम्बन्धित योग्य जॉच संस्थान जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना जॉच संस्थान संचालित कर रहे हैं, ऐसे इच्छुक योग्य जॉच संस्थान संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर वर्तमान सीजीएचएस (एनएबीएल/नॉन -एनएबीएल) कानपुर की दरों पर सी.टी., एम.आर.आई. एवं आल्ट्रासाउन्ड जॉच के अलग - अलग ऑफर अलग - अलग सील बन्द लिफाफों में आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं :-

1. जॉच संस्थान आवश्यक आधुनिक उपकरणों व रिपोर्टिंग से सुसज्जित और रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ से परिपूर्ण होना आवश्यक है।
2. जॉच सेंटर की सेवाएँ वर्तमान एनएबीएल/ नॉन -एनएबीएल सी. जी. एच. एस., कानपुर की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी अर्थात् अनुबन्ध की तिथि से तीन वर्ष की अनुबन्धित अवधि में अपरिवर्तनीय होगी।
3. मंडल रेलवे चिकित्सालय, झांसी से जॉच संस्थान की दूरी 10 - 15 किमी. के अन्दर होनी चाहिए।
4. रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/झांसी द्वारा किये गये प्रति हस्ताक्षर उपरान्त रैफर पत्र के साथ आपके पास जॉच हेतु भेजा जायेगा।
5. अधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उसके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त आर. ई. एल. एच. एस. कार्डधारकों से जॉच संस्थान कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा।
6. भुगतान की पद्धति वर्तमान एनएबीएल/नॉन-एनएबीएल सीजीएचएस कानपुर की दरों पर आधारित रेट लिस्ट के अनुसार बिल प्रणाली पर होगी। जॉच दरों के अलावा आपात चार्ज देय नहीं होगा।
7. जॉच रिपोर्ट 12 घंटे में देना होगी, तथा आपात स्थिति में जॉच रिपोर्ट तुरन्त देना होगी।
8. जॉच संस्थान को 24घण्टे जॉच की सुविधा प्रदान करना होगी।
9. मंडल रेलवे चिकित्सालय, झांसी से जॉच संस्थान तक मरीजों को ले जाने एवं वापसी के लिए जॉच संस्थान को रोगी वाहन आवश्यक उपकरणों सहित निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
10. जॉच संस्थान सी.टी., एम.आर.आई जॉच ऑफर के साथ आल्ट्रासाउन्ड जॉच के लिए ऑफर प्रस्तुत करेगा। उस जॉच संस्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबन्धक/उत्तर मध्य रेल, प्रयागराज द्वारा Arbitration Act (26) 1966 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दशा में विवाद की अपील महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेल, के समक्ष की जायेगी, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, झांसी के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
12. आवेदन के साथ सभी प्रपत्र जैसे नामांकन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रमाणित वर्तमान एनएबीएल / नॉन - एनएबीएल सीजीएचएस कानपुर रेल लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ जॉच संस्थान निर्देशक की मोहर सहित हस्ताक्षरित हो, सी.टी., एम.आर.आई., एवं आल्ट्रासाउन्ड जॉच के अलग - अलग ऑफर अलग - अलग सील बन्द लिफाफों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ.म.रे. झांसी (उ.प्र.) 284001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00बजे से सायं 5.00बजे तक जमा करे।
13. रेलवे नियमानुसार Performance Bank Guarantee (PBG) जमा करनी होगी।
14. अनुबन्ध निरस्त, जोड़ने एवं परिवर्तित करने का अधिकार रेल प्रशासन सुरक्षित रखता है।
15. उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ.म.रे. कार्यालय झांसी में लगे सूचना पट एवं उ.म.रे. की वेबसाइट <http://www.ncr.indianrailways.gov.in> पर देख सकते हैं।

**EXPRESSION OF INTEREST**  
**ADVERTISEMENT FOR OUT SOURCING THE C.T., M.R.I. & ULTRASONOGRAPHY SERVICES FOR**  
**DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL JHANSI.**

Chief Medical Superintendent North Central Railway, Jhansi is inviting the application from qualified Investigation centre for out sourcing the Investigations of C.T., M.R.I. & Ultrasonography is Willing for Investigation centre owner need to apply the separate separate envelop for different type of investigation as per current CGHS (NABL / NON NABL) Kanpur rates within the 15 days of publication of advertisement.

**Following conditions are mandatory:-**

1. The investigation centre should be well equipped and qualified Radiologist & centre should be with latest state of art machinery with adequate facilities for reporting.
2. The rates of CT, MRI & Ultrasound investigation should be based on Current NABL/ Non-NABL CGHS Kanpur rate list, which will be applicable for three years, i.e. from the agreement of the investigation centre, which will be effective from the date of approval of this agreement.
3. The investigation center should be within the 10-15 KM from Divisonal Railway Hospital Jhansi.
4. Railway Patients will be referred to your centre with a proper reference letter from Railway Hospital Jhansi signed by authorized medical officer and countersigned by CMS/JHS.
5. No Payment will be charged from Railway employees, their dependants and Retired RELHS Card holder employees duly referred by authorized Railway Medical officers.
6. The mode of payment will be done on bill system based on Current NABL / Non – NABL CGHS Kanpur rates List. No emergency charges will be charged except investigation.
7. Investigation report should be provided within the 12 hrs same day and also in emergency case the investigation report should be provided immediately.
8. Facility for the above Investigation should be available 24 hrs.
9. Ambulance fully equipped should be provided by investigation centre free of cost for carring patient from Railway Hospital to investigation centre and back to Railway Hospital.
10. Preference will be preferable who should give the offer of USG with CT & MRI Investigation.
11. All the disputes or differences will be resolved by arbitrator deputed by General Manager North Central Railway, Allahabad, the Arbitration Act (26) of 1996 will be applicable for this, if disagreed with the decision of the Arbitrator an appeal can be made to General Manager North Central Railway, Allahabad and his decision will be accepted by both the parties, further disagreeing upon the matter can be taken to Jhansi District Court.
12. Application along with all documents as Registration, experience providing documents current NABL / Non NABL CGHS Kanpur Rate list with stamp & signature of the investigation Director on every page in a sealed separate separate envelope for endorsement of CT/MRI/USG should be deposited in the office of Chief Medical Superintendent, North Central Railway, Jhansi from 10AM to 5 PM in any working day.
13. As per Railway Rules the Performace Bank Guarantee should be deposited.
14. Railway Administration has right to cancel, reject or modify these contracts.
15. Above information can be seen on the notice board of C.M.S's office, N.C.Rly. Jhansi & on the web site of N.C.Rly. <http://www.ncr.indianrailways.gov.in>.

**Chief Medical Supdt.**  
**N.C.Rly. JHANSI**